161

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/907/2009--------

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.............

विषयः नहर एवं नदी तटबंधों पर वर्ष 2013-14 में वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक- वन/पर्या0-09/12-206(ई0)प0व0 दिनांक 11/4/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नहर एवं नदी तटबंधों के चयनित/प्रस्तावित स्थलों पर सहमति निम्नांकित शर्त्तों के साथ दी जाती हैः-

1. नहर एवं नदी तटबंधों के ऊपर तथा भीतरी स्लोप पर किसी भी स्थिति में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा।

2. नहर के बाहरी स्लोप का निचला भाग जहाँ समतल जमीन से मिलता है वहाँ से 3 फीट से 4 फीट की दूरी छोड़कर चाट लैंड पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण हरेक 50मीटर की लम्बाई में करने के पश्चात् 10 मीटर का गैप आवागमन सुविधा हेतु दिया जाना आवश्यक होगा।

3. नदी तटबंध के साईड स्लोप एवं कंट्रीसाईड में **Toe** (टो) से 20 फीट की दूरी तथा रीभर साईड की 10 फीट तक की दूरी को वृक्षारोपण से मुक्त रखा जायेगा।

4. नदी तटबंध के चार्ट लैंड एवं नहर तटबंध के बाहरी स्लोप पर ऊपर के 50 प्रतिशत भू-भाग को छोड़कर नीचले भू-भाग में मात्र एक **Row** में ऐसी प्रजाति के पौधे का रोपण किया जा सकता है जिसकी परिपक्वता अवधि कम होती है तथा जिनके जड़ों का फैलाव

160

ज्यादा नहीं होता है, यथा- शीशम, गम्हार, सागवान, सेमल, कदम्ब, करंज, आँवला, सहजन, बाँस, बबूल, यूकेलिप्टस एवं बैर आदि।

5. भविष्य में किसी पेड़ या पेड़ों के कारण नदी तटबंध अथवा नहर के पुनर्स्थापन/अनुरक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो तो वैसी स्थिति में पर्यावरण एवं वन विभाग को इसकी सूचना देकर आवश्यकतानुसार उन पेड़ों को हटाकर इस प्रकार का कार्य कराया जायेगा।

6. इन शर्त्तों का अनुपालन पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी देखरेख या अनुश्रवण जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 474 पटना/दिनांक- 29/05/13

प्रतिलिपिः- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ संबंधित पदाधिकारियों को इस पत्र की प्रति अविलंब उपलब्ध करा दी जाय।

FAX

29.5.13

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

कृपया वेब साईट पर डालें।

15/01/2015

EE-4